उत्तर प्रदेश बजट

2026–2027

के

प्रमुख अंश

एवं

विशेषताएँ

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश

आय-व्ययक 2026-2027

निम्नलिखित विवरण-पत्र में आय-व्ययक अनुमान 2026-2027 की स्थिति का सारांश दिया गया है

(₹ करोड़ में)

मद	आय-व्ययक अनुमान 2025-2026	पुनरीक्षित अनुमान 2025-2026	आय-व्ययक अनुमान 2026-2027
1	2	3	4
प्रारम्भिक शेष	* 20240.81	* 20240.81	(-) 96.41
1- समेकित निधि			
(1) प्राप्तियाँ -			
(क) राजस्व लेखे की प्राप्तियाँ -	662690.93	579842.01	728928.12
(ख) पूँजी लेखे की प्राप्तियाँ -			
(i) ऋणों से प्राप्तियाँ	113309.55	103309.55	115812.80
(ii) ऋणों और अग्रिमों की वसूलियाँ	3242.17	3242.17	3492.26
योग - (ख) - पूँजी लेखे की प्राप्तियाँ	116551.72	106551.72	119305.06
योग - (1) - प्राप्तियाँ	779242.65	686393.73	848233.18
(2) व्यय -			
(क) राजस्व लेखे का व्यय -	583174.57	505493.90	664470.55
(ख) पूँजी लेखे का व्यय -			
(i) पूँजीगत परिव्यय	165242.91	159780.71	177744.12
(ii) ऋणों का प्रतिदान	51403.16	41476.45	61795.39
(iii) ऋण और अग्रिम	8915.42	9479.89	8686.29
योग - (ख) - पूँजी लेखे का व्यय	225561.49	210737.05	248225.80
योग - (2) - व्यय	808736.06	716230.95	912696.35
समेकित निधि में घाटा(-) / बचत(+)	(-) 29493.41	(-) 29837.22	(-) 64463.17
2- आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	0.00	0.00	0.00
3- लोक लेखा (शुद्ध)	9500.00	9500.00	9500.00
समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम	(-) 19993.41	(-) 20337.22	(-) 54963.17
अन्तिम शेष	247.40	(-) 96.41	(-) 55059.58

* भारतीय रिजर्व बैंक में राज्य के खाते के अनुसार ।

बजट
वित्तीय वर्ष 2026–2027

- वित्तीय वर्ष 2026–2027 के बजट का कुल आकार 09 लाख 12 हजार 696 करोड़ 35 लाख रुपये (9,12,696.35 करोड़ रुपये) है, जो वित्तीय वर्ष 2025–2026 के बजट अनुमान 08 लाख 08 हजार 736 करोड़ 06 लाख रुपये (8,08,736.06 करोड़ रुपये) से 01 लाख 03 हजार 960 करोड़ 29 लाख रुपये (1,03,960.29 करोड़ रुपये) अर्थात 12.9 प्रतिशत अधिक है।

- बजट में राजस्व व्यय के लिये 06 लाख 64 हजार 470 करोड़ 55 लाख रुपये (6,64,470.55 करोड़ रुपये) के अनुमान तथा पूँजीगत व्यय के लिये 02 लाख 48 हजार 225 करोड़ 80 लाख रुपये (2,48,225.80 करोड़ रुपये) के अनुमान लिये गये हैं।

- कुल पूँजीगत व्यय में पूँजीगत परिव्यय के लिये 01 लाख 77 हजार 744 करोड़ 12 लाख रुपये (1,77,744.12 करोड रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि पूँजीगत परिव्यय से परिसम्पत्तियों तथा रोजगार के अवसरों का सृजन होता है।

- बजट में कुल अनुमानित प्राप्तियाँ 08 लाख 48 हजार 233 करोड़ 18 लाख रुपये (8,48,233.18 करोड़ रुपये) हैं, जिसमें राजस्व प्राप्तियाँ 07 लाख 28 हजार 928 करोड़ 12 लाख रुपये (7,28,928.12 करोड़ रुपये) तथा पूँजी लेखे की प्राप्तियाँ 01 लाख 19 हजार 305 करोड़ 06 लाख रुपये (1,19,305.06 करोड़ रुपये) है।

- बजट में 43 हजार 565 करोड़ 33 लाख रुपये (43,565.33 करोड़ रुपये) की नई योजनाएँ सम्मिलित की गई हैं।

वित्तीय वर्ष 2026–2027 के बजट में
विभिन्न विभागों के लिए बजट का प्राविधान

किसान

- प्रदेश सरकार के अब तक के कार्यकाल में 3,04,321 करोड़ रुपये से अधिक के गन्ना मूल्य का भुगतान। जो कि इसके पूर्व के 22 वर्षों में किये गये गन्ना मूल्य भुगतान 2,13,519 करोड़ रुपये से भी 90,802 करोड़ रुपये अधिक है।
- पेराई सत्र 2025–2026 हेतु गन्ना मूल्य की दरों में 30 रुपये प्रति कुन्तल की वृद्धि की गयी। इस बढ़ोत्तरी से गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त गन्ना मूल्य भुगतान प्राप्त होगा।
- रबी विपणन वर्ष 2025–2026 में कृषकों से 10.27 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का क्रय करते हुए 2,512 करोड रुपये का भुगतान किया गया।
- खरीफ विपणन वर्ष 2025–2026 में कृषकों से 42.96 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय करते हुए 9,710 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया।
- खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 में 54,253 कृषकों से 2.14 लाख मीट्रिक टन बाजरा क्रय करते हुए कृषकों को 595 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- नलकूपों से सिंचाई के लिये किसानों को दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से मुफ्त विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है।
- वर्ष 2025–2026 में अल्पकालिक फसली ऋण वितरण के अन्तर्गत 19 दिसम्बर, 2025 तक 10,257 करोड़ रुपये का ऋण वितरण कर 15 लाख 01 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया।
- वर्ष 2025–2026 मे दीर्घकालिक ऋण वितरण के लक्ष्य रूपये 600 करोड़ के सापेक्ष 30 नवम्बर, 2025 तक 205 करोड़ रुपये का ऋण वितरण कर 6,870 कृषकों को लाभान्वित किया गया।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 2017–2018 से 2024–2025 तक लगभग 62 लाख कृषकों को 5,110 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान तथा वर्ष 2025–2026 में खरीफ के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2025 तक 2.69 लाख बीमित कृषकों को 215 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–2026 में माह दिसम्बर, 2025 तक 3.12 करोड़ कृषकों को लगभग 94,668 करोड़ रूपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से कृषकों के खातों में हस्तान्तरित की गयी।

महिला

- वित्तीय वर्ष 2025–2026 में 58,000 ग्राम पंचायतों में 39,880 बी0सी0 सखी द्वारा 39,000 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेन–देन करते हुये लगभग 107 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया गया।
- महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 5 मिल्क प्रोडयूसर कम्पनियों के गठन के सापेक्ष जनपद गोरखपुर, बरेली एवं रायबरेली में कम्पनियों का गठन कर दुग्ध संग्रहण एवं

विपणन का कार्य प्रारम्भ। जनपद प्रयागराज एवं लखनऊ में कम्पनियों का गठन प्रस्तावित है।

- महिला गन्ना किसानों को पर्ची निर्गमन में प्राथमिकता दी जा रही, जिसका लाभ प्रदेश की लगभग 60,000 महिला गन्ना किसानों को मिल रहा है।
- सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत महिला पुलिस बीट, व्यापक सी0सी0टी0वी0 नेटवर्क और एण्टी रोमियो स्क्वॉड की तैनाती से सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित हुई।
- सेफ सिटी की अवधारणा को मूर्तरूप देने व कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा व नये शहरों में एक उचित निवास स्थान उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के नगर निगमों में वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा।
- मिशन शक्ति के अन्तर्गत सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सेवाओं के एकीकरण से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता को नई गति मिली।
- मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएँ लाभान्वित।

युवा

- उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख युवाओं को विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित कर प्रमाणीकृत किया गया, जिसमें से 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया।
- मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत वर्तमान में संचालित 163 अभ्युदय केन्द्रों पर 23,000 से अधिक युवाओं को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जा रही है।
- युवाओं को सरकारी नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सहभागिता प्रदान करने हेतु 108 आकांक्षात्मक विकास खण्डों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
- स्वामी विवेकानन्द युवा–सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत अब तक 49 लाख 86 हजार टैबलेट/स्मार्टफोन निःशुल्क वितरित किये गये।
- प्रदेश में अब तक 90,000 मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध करायी गयी है।

रोजगार

- पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर वर्ष 2017 से अब तक 1,83,766 पुरुष एवं 35,443 महिला सहित कुल 2,19,000 पदों पर भर्ती की गयी तथा 1,58,000 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गयी।
- पुलिस विभाग में चयनित किये गये 60,244 आरक्षियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित है। अराजपत्रित श्रेणी के 83,122 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है।
- मिशन रोजगार के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1939 प्रवक्ता, 6,808 सहायक अध्यापक एवं 219 प्रधानाचार्यों को सम्मिलित करते हुये अब तक कुल 8,966 नियुक्ति की

प्रक्रिया पूर्ण। वर्ष 2017 से अब तक सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुल 34,074 शिक्षकों का चयन किया गया।

- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारण्टी मुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 01 लाख नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है।

- निवर्तमान मनरेगा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–2026 में 20 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष 13 जनवरी, 2026 तक 20 करोड़ 19 लाख 62 हजार मानव दिवस का सृजन किया गया, जो कि देश में सर्वाधिक है तथा 47.11 लाख परिवारों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक रोजगार उपलब्ध कराया गया।

श्रमिक कल्याण

- अपने घर, गाँव से दूर शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिये लेबर अड्डों का निर्माण कराया जायेगा।

- एक्स–ग्रेशिया अनुदान के अन्तर्गत 26 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की किसी दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 02 लाख रुपये तथा आंशिक दिव्यांगता पर 01 लाख रुपये का भुगतान किया जा रहा है।

- प्रदेश में प्रथम बार निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु मोबाइल हेल्थ वैन का संचालन पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया।

- रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों/श्रमिकों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया गया।

<u>कानून व्यवस्था</u>

- जन सामान्य को सुरक्षा प्रदान करने एवं कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन्हीं प्रयासों के चलते अपराध एवं कानून–व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है।

- वर्ष 2016 के मुकाबले डकैती, लूट, हत्या, बलवा, फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में क्रमशः 89 प्रतिशत, 85 प्रतिशत, 47 प्रतिशत, 70 प्रतिशत और 62 प्रतिशत की कमी हुई है।

- महिलाओं के खिलाफ अपराध में वर्ष 2016 के मुकाबले हत्या, दहेज, मृत्यु, बलात्कार और शीलभंग के मामलों में क्रमशः 48 प्रतिशत, 19 प्रतिशत, 67 प्रतिशत और 34 प्रतिशत की कमी आयी है।

- अनुसूचित जाति, जनजाति उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों में वर्ष 2016 के मुकाबले हत्या, आगजनी, बलात्कार, गम्भीर चोट के मामलों में क्रमशः 43 प्रतिशत, 94 प्रतिशत, 32 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की कमी आयी है।

- पुलिस के अनावसीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 1374 करोड़ रुपये तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 1243 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 346 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- अग्निशमन केन्द्रों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- बहुमंजिला भवनों में अग्निशमन व्यवस्था, नवनिर्मित केन्द्रों को पूर्णरुप से क्रियाशील बनाने हेतु 190 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिला बीट कर्मियों के क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहनों के क्रय हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

चिकित्सा शिक्षा

- चिकित्सा शिक्षा के लिये 14,997 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- वर्तमान में प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 45 राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं एवं 36 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं।
- वर्तमान में 60 जनपद मेडिकल कालेज की सुविधाओं से आच्छादित हैं। 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कालेजों की स्थापना पी0पी0पी0 पद्धति से की जानी है।
- राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल चिकित्सा संस्थानों में एम0बी0बी0एस0 सीटों की संख्या वर्ष 2017 में 4,540 थी, जिसे बढ़ाकर 12,800 किया गया।
- राजकीय तथा निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में पी0जी0 सीटों की संख्या वर्ष 2017 में 1,221 थी, जिसे बढ़ाकर 4,995 किया गया।
- 14 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 1023 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- कैंसर संस्थान, लखनऊ के लिये 315 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- असाध्य रोगों के इलाज के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु 130 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिये 37,956 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लॉक में दो मेडिकल टीमें तैनात की गई, जो आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा स्कूलों में जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में 08 दिसम्बर, 2024 से संचालित पल्स पोलियो अभियान के अन्तर्गत 03 करोड़ 28 लाख 44 हजार 929 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलायी गयी।
- जापानी इन्सेफेलाइटिस से बचाव हेतु प्रदेश के संवेदनशील 42 जनपदों में टीकाकरण कार्यक्रम निर्बाध रूप से संचालित।

- आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत लाभार्थी परिवारों की संख्या 49.22 लाख है। इस हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु लगभग 8,641 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन हेतु 2,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

आयुष

- आयुष सेवाओं के लिये लगभग 2,867 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2,111 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1,585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 08 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय, 02 यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं उससे सम्बद्ध चिकित्सालय तथा 09 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय क्रियाशील।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास की योजनाओं के लिये 27,103 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण एवं नये औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना हेतु 5,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट/स्मार्टफोन के वितरण की प्रक्रिया गतिमान। इस योजना हेतु 2,374 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- अटल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत अवस्थापना विकास हेतु 2,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- फॉरेन डाइरेक्ट इन्वेस्टमेण्ट एवं फॉर्च्यून–500 कम्पनियों के निवेश हेतु घोषित प्रोत्साहन नीति–2023 के क्रियान्वयन हेतु 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना में अब तक 200 रक्षा उद्योगों की स्थापना हेतु एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित, जिसमें 35,280 करोड़ रुपये का निवेश एवं 53,263 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार अनुमानित।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सेक्टर की योजनाओं के लिये 3,822 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025–2026 की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है।
- उत्तर प्रदेश का एम0एस0एम0ई0 सेक्टर देश के सभी राज्यों में अग्रणी।
- प्रदेश में एम0एस0एम0ई0 उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु 'सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लॉयमेण्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन' की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसके लिये 575 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान हेतु 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 01 लाख सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य।

- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- 'एक जनपद एक व्यंजन' नई योजना के लिये 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

- हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग की योजनाओं के लिये लगभग 5,041 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- वित्तीय वर्ष 2026–2027 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 30,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य।
- हथकरघा बुनकरों के साथ–साथ पावरलूम बुनकरों के उत्थान के लिये अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के लिये 4,423 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं गारमेण्टिंग पॉलिसी–2022 हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

खादी एवं ग्रामोद्योग

- 'मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना' के अन्तर्गत वर्ष 2026–2027 में 800 इकाइयों को 40 करोड़ रुपये बैंक ऋण से नये उद्यम स्थापित कराकर 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य।
- पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को बैंक ऋण पर ब्याज उपादान की सुविधा हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- कम्बल उत्पादन केन्द्र, खजनी, गोरखपुर के आधुनिकीकरण की नई योजना प्रस्तावित, जिसके लिये 07 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा माटीकला के परम्परागत कारीगरों के चहुँमुखी विकास हेतु संचालित माटीकला समन्वित विकास कार्यक्रम के लिये 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

- आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की योजनाओं के लिये 2,059 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- ए0आई0 के क्षेत्र में विकास हेतु उत्तर प्रदेश ए0आई0 मिशन की शुरूआत की जा रही, जिसके लिये 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- इण्डिया ए0आई0 मिशन के साथ प्रदेश की 49 आई0टी0आई0 को ए0आई0 लैब के साथ ही राज्य में ए0आई0 सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस तथा इण्डिया ए0आई0 डाटा लैब्स की स्थापना हेतु 32 करोड़ 82 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।
- साइबर सुरक्षा संचालन केन्द्र की स्थापना की नई योजना प्रस्तावित, जिसके लिये 95 करोड़ 16 लाख रुपये की व्यवस्था।

सड़क एवं सेतु

- सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण, चौड़ीकरण एवं अनुरक्षण हेतु 34,468 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश में नॉर्थ–साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश में सेतुओं हेतु 4,808 करोड़ रुपये एवं रेल उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1,700 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 3,700 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3,000 करोड़ रुपये सड़कों के निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 3,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- शहरवासियों के आवागमन को सुगम बनाने दृष्टिगत शहरों के बाईपास एवं रिंग रोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 1,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- औद्योगिक/लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/निर्माण कार्य हेतु 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग

- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये 18,290 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा मध्यगंगा स्टेज–2 परियोजना, कनहर सिंचाई परियोजना, केन बेतवा लिंक परियोजना, भौरट बाँध परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्य में प्रगति। इनके परियोजनाओं के पूर्ण होने से 4.49 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित/पुनर्स्थापित होगी।
- 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण तथा डार्कजोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निमाण का कार्य वर्ष 2025–2026 में पूर्ण कर लिया गया है। इन कार्यों से लगभग 1.62 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी तथा लगभग 1.43 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे।
- वित्तीय वर्ष 2025–2026 में 285 बाढ़ परियोजनाएँ पूर्ण की गयीं, जिनसे 49.90 लाख आबादी लाभान्वित हुई। 11,065 किलोमीटर लम्बाई में ड्रेनों की सफाई करायी गयी।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति

- नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति हेतु लगभग 22,676 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान करने के लक्ष्य के सापेक्ष 2.43 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन उपलब्ध कराया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2026–2027 में जल जीवन मिशन के समस्त घटकों हेतु लगभग 22,452 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ऊर्जा

- ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं के लिये 65,926 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- वर्ष 2025–2026 में माह दिसम्बर, 2025 तक औसत विद्युत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में 19 घण्टे, तहसील मुख्यालय में 21 घण्टे 49 मिनट एवं जनपद मुख्यालय में 24 घण्टे रही है।
- 01 अप्रैल, 2022 से माह दिसम्बर, 2025 तक कुल 2,41,088 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किये गये। सामान्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–2018 से कुल 1,66,135 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किये गये।
- प्रदेश में 01 अप्रैल, 2022 से वर्ष 2025–2026 तक कुल 2,410 नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण एवं क्षमता वृद्धि की गयी है। साथ ही 20,924 नये वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की स्थापना एवं 85,684 ट्रांसफॉर्मरों की क्षमतावृद्धि का कार्य किया गया है।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

- अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के विकास हेतु लगभग 2,104 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- पी0एम0 कुसुम सूर्यघर योजना प्रदेश में सघन रूप से संचालित है। इस हेतु 1,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- अयोध्या एवं मथुरा सहित 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक प्रदेश में लगभग 5.20 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना।
- उत्तर प्रदेश राज्य जैव नीति–2022 के अन्तर्गत प्रदेश में 36 सीबीजी संयंत्रों की स्थापना करायी जा चुकी है, जो देश में सबसे अधिक।

आवास एवं शहरी नियोजन

- आवास एवं शहरी नियोजन हेतु 7,705 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- काशी–विन्ध्य क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन। प्रयागराज–चित्रकूट क्षेत्र क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन भी प्रक्रियाधीन।
- रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अन्तर्गत दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ नमो भारत ट्रेन का संचालन प्रारम्भ।
- लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के अन्य सभी विकास प्राधिकरणों के विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न अवसंरचना कार्यों हेतु 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- मेरठ, मथुरा–वृन्दावन एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास की नई योजना हेतु 750 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- नई योजना–सिटी इकोनॉमिक रीजन हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- अयोध्या के सर्वांगीण विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण। इसकी सुरक्षा प्रबन्धन एवं अनुरक्षण कोष हेतु कॉर्पस फण्ड हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

नगर विकास

- नगर विकास हेतु लगभग 26,514 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- वर्ष 2017 के उपरान्त प्रदेश में कुल 113 नये नगरीय निकाय गठित, 127 निकायों का सीमा विस्तार।
- स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)–1.0 के अन्तर्गत मुख्यतः महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत 189 नगरीय निकायों में 1,100 ब्लॉक में पब्लिक/कम्युनिटी/पिंक टॉयलेट का निर्माण।
- भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना–स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत देश के चयनित कुल 100 शहरों में प्रदेश के 10 शहरों का चयन यथा–लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, झाँसी, सहारनपुर व मुरादाबाद चरणबद्ध रूप से किया गया है।
- केन्द्र पुरोनिधानित स्मार्ट सिटी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के अन्य 07 नगर निगमों (अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा–वृन्दावन, मेरठ व शाहजहाँपुर) को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की अभिनव पहल।

नागरिक उड्डयन

- नागरिक उड्डयन हेतु 2,111 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से की जा रही है।
- जेवर एयरपोर्ट को एक एविएशन इनोवेशन एवं रिसर्च सेण्टर के साथ रख–रखाव और ऑपरेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रदेश सरकार अग्रसर।
- जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में पी0पी0पी0 मोड पर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रथम चरण का विकास कार्य प्रशस्त है। राज्य सरकार द्वारा जेवर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में बनने वाले 02 रनवे की संख्या को बढ़ाकर 05 रनवे बनाए जाने का निर्णय लिया गया है।
- जेवर अन्तर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट की स्थापना हेतु 750 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश सरकार की हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन हेतु 1,100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

धर्मार्थ कार्य

- श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर अयोध्याधाम तक पहुँच मार्ग परियोजना के अन्तर्गत श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर अयोध्याधाम मुख्य पहुंच मार्ग (रामपथ) का निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है।
- जमधरा में प्रस्तावित वैदिक वेलनेस सिटी से श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर पहुँच मार्ग के उच्चीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

- काशी में वैदिक विज्ञान केन्द्र के प्रथम एवं द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण कर पठन–पाठन का कार्य प्रारम्भ।
- जनपद मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र, माँ विन्ध्यवासिनी मन्दिर, माँ अष्टभुजा मन्दिर, माँ काली खोह मन्दिर के परिक्रमा पथ एवं जनसुविधा स्थलों को विकासित किये जाने हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- जनोपयोगी संरक्षित मन्दिरों के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निमाण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

संस्कृति

- इमिलिया कोडर, बलरामपुर में थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय का निर्माण।
- रामनगर, वाराणसी में पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक निवास पर संग्रहालय स्थापित कर आम जनता के लिये लोकार्पित किया जा चुका है।
- भारतरत्न माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी के पैतृक गाँव बटेश्वर में सांस्कृतिक संकुल का निर्माण कार्य पूर्ण।
- भारतरत्न डॉ0 बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण ऐशबाग, लखनऊ में कराया जा रहा है।
- जनपद प्रयागराज में निषादराज गुहा सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना की गयी।

पर्यटन

- वर्ष 2025 में जनवरी से जून तक लगभग 122 करोड़ पर्यटक प्रदेश में आये, जिनमें से 121 करोड़ से अधिक भारतीय पर्यटक तथा 33 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल।
- मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या तीर्थ विकास परिषद द्वारा अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना विकास हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद द्वारा नैमिषारण्य क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- विन्ध्यवासिनी देवी धाम तथा वाराणसी में पर्यटक सुविधाओं के विकास हेतु 100–100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

नियोजन

- ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ करने के लिये त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु 2,400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- सस्टेनेबल डेवलपमेण्ट गोल्स कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय क्षेत्रों में निर्धारित किये गये लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त किये जाने हेतु प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयत्नशील।
- 'एक परिवार, एक पहचान' के तहत प्रदेश के सभी परिवारों को विशिष्ट पहचान प्रदान की जा रही है। कुल 04 करोड परिवारों एवं 15.62 करोड़ व्यक्तियों की फैमिली आई0डी0

सृजित की जा चुकी है। प्रदेश एवं केन्द्र सरकार के 32 विभागों की 98 महत्वपूर्ण योजनाओं को फैमिली आई0डी0 के डाटाबेस के साथ इण्टीग्रेट किया जा चुका है।

ग्राम्य विकास

- ग्राम्य विकास की योजनाओं के लिये लगभग 25,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मनरेगा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु क्रमशः 5,544 करोड़ रुपये एवं 4,580 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारण्टी योजना के रूप में संचालित होगी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016–2017 से लेकर वर्ष 2025–2026 तक 36 लाख 56 हजार आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 36 लाख 37 हजार आवास पूर्ण तथा शेष निर्माणाधीन आवास शीघ्रता से पूर्ण करा लिये जायेंगे। योजना हेतु 6,102 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2018–2019 से लेकर वर्ष 2025–2026 तक कुल 04 लाख 61 हजार आवास निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 03 लाख 67 हजार आवास पूर्ण।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 822 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पंचायती राज

- पंचायती राज की योजनाओं के लिये लगभग 32,090 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025–2026 की तुलना में 67 प्रतिशत अधिक है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण हेतु 2,823 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश में ग्राम पंचायत एवं वॉर्ड स्तर पर डिजिटल लाईब्रेरी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2026–2027 में 454 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 130 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्राम पंचायतों में 1000 बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2026–2027 में लगभग 57 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश की प्रत्येक विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन/बारात घर का निर्माण योजनान्तर्गत 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषि

- कृषि योजनाओं के लिये लगभग 10,888 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025–2026 के मुकाबले 20 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2026–2027 में 753.55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन एवं 48.18 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य है।

- एक्वाब्रिज द्वारा प्रस्तावित यूपीएग्रीज परियोजना में एक्वा कल्चर आधारभूत संरचना के अन्तर्गत विश्वस्तरीय हैंचरी तथा विश्वस्तरीय ट्रेनिंग सेण्टर की स्थापना की वाह्य सहायतित परियोजना के लिये 155 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- यू0पी0 एग्रीज परियोजना के अन्तर्गत एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिये 245 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- किसान उत्पादक संगठनों हेतु रिवॉल्विंग फण्ड योजना के लिये 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषकों के डीजल पम्प सेट को सोलर पम्प में परिवर्तित करने की योजना हेतु 637 करोड़ 84 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजना हेतु 298 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषकों के निजी नलकूपों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 2,400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश बीज स्वावलम्बन नीति, 2024 के अन्तर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना हेतु 251 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हेतु लगभग 103 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार

- मा0 मुख्यमंत्री कृषक कल्याणकारी योजना के अन्तर्गत 111 ट्रैक्टरों का वितरण किया गया है।
- 76.41 करोड़ रूपये की लागत से विकल्प खण्ड गोमती नगर, लखनऊ में किसान एग्री मॉल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत रूपये 61.87 करोड़ की लागत से नवीन मण्डी स्थल चन्दौली तथा जनपद सिद्धार्थनगर में मत्स्य मण्डी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उद्यान

- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण हेतु 2,832 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025–2026 के सापेक्ष 7 प्रतिशत से अधिक है।
- प्रदेश की आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से जुड़ा है, जिसमें 90 प्रतिशत से अधिक लघु सीमान्त कृषक हैं।
- राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना हेतु 715 करोड़ रुपये तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 478 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2022 के क्रियान्वयन हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खाद्य प्रसंस्करण

- प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम उद्योग क्षेत्र में सम्मिलित हैं।

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने हेतु सुनियोजित विकास के कार्यक्रम आरम्भ कर उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2023 लागू की गयी है, जो कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने, रोजगार एवं मूल्य संवर्द्धन में सहायक सिद्ध हो रही है।

- भारत सरकार के सहयोग से खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को पूँजीगत अनुदान देकर लाभान्वित किये जाने के कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

- उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। वस्तुतः चीनी मिलें व गन्ना खेती प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी है। पेराई सत्र 2024–2025 में प्रदेश के 47 लाख गन्ना किसानों द्वारा 29.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना खेती की गयी।

- प्रदेश में संचालित 122 चीनी मिलों में 956 लाख 09 हजार टन गन्ने की पेराई कर 92 लाख 45 हजार टन चीनी का उत्पादन किया गया।

- प्रदेश की चीनी मिलों की पेराई क्षमता 8.58 लाख टन प्रतिदिन है। प्रदेश की चीनी मिलों के औद्योगिक पुनरुद्धार के क्रम में पिपराइच, मुण्डेरवां, रमाला में नई चीनी मिलें स्थापित की गयीं तथा 44 से अधिक चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है, जिससे अब तक कुल 1,25,000 टी0सी0डी0 अतिरिक्त पेराई क्षमता का सृजन हुआ है। मिलों के आधुनिकीकरण और औद्योगिक पुनरूद्धार से 10 लाख से अधिक रोजगार सृजन हुआ।

दुग्ध विकास

- वर्तमान में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेश में 19 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

- जनपद मथुरा में पूर्व में 30 हजार लीटर क्षमता की नवीन डेयरी परियोजना प्रस्तावित की गयी थी, जिसे संशोधित करते हुये 01 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेयरी प्लाण्ट के स्थापना हेतु 23 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित दुग्ध संघों में 220 नई दुग्ध समितियों के गठन तथा 450 दुग्ध समितियों के पुनर्गठन के लिये लगभग 107 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पशुधन

- प्रदेश में निराश्रित/बेसहारा पशुओं से फसलों के नुकसान से बचाने हेतु प्रदेश में गो–संरक्षण के लिये 7,497 गो–आश्रय स्थलों में 12,38,547 गोवंश संरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त 155 वृहद गो–संरक्षण केन्द्र निर्माणाधीन हैं।

- माननीय मुख्यमंत्री सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन के अन्तर्गत 1,13,631 पशुपालकों को अद्यतन 1,81,418 गोवंश सुपुर्द किये गये हैं, जिनके भरण–पोषण हेतु 01 अक्टूबर,

2023 से 30 रुपये प्रतिदिन प्रति गोवंश को बढ़ाकर 50 रुपये की दर से डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे भुगतान किया जा रहा है।

- छुट्टा गोवंश के रख–रखाव हेतु 2,000 करोड़ रुपये तथा वृहद गो–संरक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पशु रोग नियंत्रण योजना हेतु 253 करोड़ रुपये तथा पशु चिकित्सालयों/पशु संघ केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु 155 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में प्रथम बार मोबाइल वेटरेनरी यूनिट की स्थापना।

मत्स्य

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत पुरुष एवं महिला घटक हेतु क्रमशः 195 करोड़ रुपये तथा 115 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना हेतु 190 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राज्य सरकार द्वारा अत्याधुनिक मत्स्य थोक बाजार, एकीकृत एक्वा पार्क तथा मत्स्य प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना की नई योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सहकारिता

- संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2025 को अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश इस वैश्विक आयोजन की शुरूआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना।
- पैक्स कम्प्यूटराइजेशन योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 1539 एवं द्वितीय चरण में 1523 एम0–पैक्स चयनित की गयी हैं। योजना हेतु 32 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ब्याज अनुदान योजना हेतु 525 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजना हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के लिये 38 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भण्डारण योजना के अन्तर्गत नवीन गोदामों के निर्माण की नयी योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसके लिये 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खाद्य एवं रसद

- खाद्य एवं रसद की योजनाओं के लिये लगभग 20,124 करोड़ रुपये व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अन्नपूर्ति योजना हेतु 15,480 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- निःशुल्क एल0पी0जी0 सिलिण्डर रीफिलिंग योजना हेतु 1,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- अन्नपूर्णा भवन के निर्माण के लिये 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

बेसिक शिक्षा

- बेसिक शिक्षा के लिये 77,622 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- परिषदीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी छात्र–छात्राओं को निःशुल्क यूनिफार्म, स्कूल बैग, जूता–मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराये जाने की योजना हेतु 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के सभी 75 जनपदों में दो–दो मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों की स्थापना की जा रही है।
- प्रदेश के सभी 75 जनपदों के प्रत्येक जनपद में एक–एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- जिन विकास खण्डों में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय स्थापित नहीं हैं, उनमें आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना की नई योजना हेतु 580 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं संविदा या मानदेय आधारित कार्मिकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की नई योजना लायी जा रही है, जिसके लिये लगभग 358 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- समग्र शिक्षा योजना के अन्तर्गत राज्य निधि से सभी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किये जाने की नई योजना हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की सुरक्षा ऑडिट में अधो मानक पाये जाने वाले विद्यालयों के अनुरक्षण की नई योजना हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

माध्यमिक शिक्षा

- माध्यमिक शिक्षा के लिये 22,167 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो 2025–2026 की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है।
- माध्यमिक विद्यालयों में बेहतर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु 520 करोड़ रुपये तथा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों हेतु 10 करोड रुपये व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राजकीय संस्कृत पाठशाला के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ड्रीम स्किल कैब क्लस्टर की स्थापना हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिये कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने की नई योजना हेतु 89 करोड़ रुपये से नई योजना प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

- जनपद गोरखपुर में पूर्वांचल के प्रथम एवं प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल की स्थापना एवं संचालन आरम्भ किया गया है।

उच्च शिक्षा

- उच्च शिक्षा के लिये लगभग 6,591 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025–2026 के मुकाबले 7 प्रतिशत अधिक है।
- मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किये जाने की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना हेतु 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- विन्ध्यांचल मण्डल में माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये, मुरादाबाद मण्डल में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये तथा देवीपाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्वामी शुकदेवानन्द विश्वविद्यालय, शाहजहाँपुर की स्थापना की नई योजना हेतु 21 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- काशी नरेश विश्वविद्यालय, भदोही की स्थापना की नई योजना हेतु 21 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों छात्र मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति की नई योजना लायी जा रही है, जिसके लिये 14 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्राविधिक शिक्षा

- प्राविधिक शिक्षा हेतु वर्ष 2025–2026 के सापेक्ष 72 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लगभग 2,365 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 195 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 23 राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन/अवस्थापना।
- राजकीय पॉलीटेक्निकों में नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयन तथा एक्सीलेंस सेण्टर की स्थापना किये जाने हेतु लगभग 714 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राजकीय पॉलीटेक्निकों में 251 स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना तथा 143 स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
- राजकीय पॉलीटेक्निकों के उन्नयन तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास की योजना हेतु 254 करोड़ रुपये तथा राजकीय पॉलीटेक्निकों की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

- व्यावसायिक शिक्षा के बजट में 2025–2026 के मुकाबले 88 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये लगभग 3,349 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनमें विभिन्न व्यवसायों की 1,90,272 सीटें युवाओं के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध है।
- प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 47 में महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु महिला शाखा संचालित। महिलाओं हेतु 12 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वतंत्र रूप से संचालित।
- प्रदेश में 2,963 से अधिक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनमें 4.58 लाख से अधिक सीटें उपलब्ध हैं।
- टाटा टेक्नोलॉजीज लि0 के सहयोग से फेज–1 के अन्तर्गत चयनित 149 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन कर प्रशिक्षण प्रारम्भ।
- फेज–2 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–2026 में टाटा टेक्नोलॉजीज लि0 के सहयोग से 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन कार्य प्रगतिमान है।
- कौशल विकास मिशन के संचालन हेतु प्रशिक्षण व्यय के लिये 1,000 करोड़ रुपये तथा दस्तकार प्रशिक्षण योजना हेतु लगभग 836 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रोजेक्ट प्रवीण के लिये 500 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

खेल एवं युवा कल्याण

- वर्तमान में प्रदेश में कुल 84 स्टेडियम, 67 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल, 38 तरणताल तथा 52 जनपदों में अत्याधुनिक जिम उपकरणों की स्थापना की गयी है।
- जनपद वाराणसी में पी0पी0पी0 मॉडल पर अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है।
- जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचन्द राज्य खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है।
- खेलो इण्डिया योजना के अन्तर्गत जनपद वाराणसी के सिगरा स्टेडियम का व्यापक विकास, जनपद जौनपुर में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण तथा जैतपुर रायबरेली में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निर्माण कराया जा रहा है।
- जनपद गोरखपुर में ई0पी0सी0 मोड पर अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वन एवं पर्यावरण

- उत्तर प्रदेश वनावरण व वृक्षादन में वृद्धि के मामले में पूरे देश में द्वितीय स्थान पर है। राज्य को यह गौरव प्राप्त होने का मुख्य श्रेय प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे वृक्षारोपण अभियान को जाता है। वृहद वृक्षारोपण के माध्यम से वर्ष 2017 के पश्चात अब तक प्रदेश में 242 करोड़ 13 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया। वर्षाकाल 2026 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- सामाजिक वानिकी योजना हेतु 800 करोड़ रुपये, पौधशाला प्रबन्धन योजना हेतु 220 करोड़ रुपये तथा राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण योजना हेतु 189 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु लगभग 207 करोड़ रुपये तथा रानीपुर बांध फाउण्डेशन, चित्रकूट के कॉर्पस फण्ड के गठन हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेण्ट प्रोजेक्ट वर्ष 2025–2026 से वर्ष 2030–2031 तक क्रियान्वित होना है। यह विश्व बैंक सहायतित मल्टीसेक्टोरल योजना है, जिसके लिये 194 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

महिला एवं बाल विकास

- महिला एवं बाल विकास की योजनाओं के लिये लगभग 18,620 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025–2026 के सापेक्ष 11 प्रतिशत अधिक है।

- निराश्रित महिला पेंशन योजना हेतु 3,500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत 2016–2017 में लाभार्थियों की संख्या 17 लाख 32 हजार थी, जो 2025–2026 में अब तक 38 लाख 58 हजार 922 हो चुकी है।

- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत 400 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावासों के निर्माण के लिये 100 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रवास निर्माण योजना हेतु 35 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु 252 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 01 करोड़ 57 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

श्रम

- ई–श्रम पोर्टल पर वर्तमान में 8.41 करोड़ कामगारों के पंजीयन के सापेक्ष फैमिली आई0डी0 उपलब्ध कराने की कार्यवाही की गयी।

- सभी अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया जा चुका है। इन विद्यालयों में कक्षा–6 से कक्षा–12 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में 10,876 छात्र–छात्राएँ इन विद्यालयों में अध्ययनरत। इस योजना हेतु 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

समाज कल्याण

- वर्ष 2025–2026 के सापेक्ष 8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 14,953 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत 67.50 लाख लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। योजना हेतु 8,950 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत सभी वर्ग की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान राशि 51,000 रुपये से बढ़ाकर 1.01 लाख रुपये कर दी गयी है। योजना हेतु 750 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 100 करोड़ रुपये तथा सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी योजना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- अनुसूचित जाति पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 977 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- सामान्य वर्ग पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 950 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

जनजाति विकास

- प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान 'पी0एम0–जनमन' के अन्तर्गत विशेष रूप से कमजोर जन जातीय समूहों का समग्र विकास किया जा रहा है।

- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 02 अक्टूबर, 2024 को किया गया है। योजना का उद्देश्य देशभर में 63,000 से अधिक जनजातीय बाहुल्य ग्रामों तथा आकांक्षी जनपदों के जनजातीय ग्रामों को 18 विभागों के कार्यक्रमों से संतृप्त किये जाने का लक्ष्य है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

- पिछड़ा वर्ग कल्याण की योजनाओं के लिये 3,402 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2025–2026 के मुकाबले 9 प्रतिशत अधिक है।

- पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 3,060 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 210 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- पिछड़े वर्ग के छात्र–छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण योजना के अन्तर्गत 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण

- दिव्यांगजन के कल्याण की योजनाओं के लिये 2,140 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2025–2026 की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है।

- दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत लगभग 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन को 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से धनराशि दी जा रही है। वर्ष 2017 के पूर्व यह धनराशि 300 रुपये थी। इस योजना हेतु 1470 करोड़ रूपये प्रस्तावित।

- 03 से 07 वर्ष के श्रवणबाधित, मानसिक मंदित तथा दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों के प्री–स्कूल रेडीनेस हेतु 18 मण्डलीय जनपदों में बचपन डे–केयर सेण्टर्स का संचालन किया जा रहा है।

- प्रदेश के 07 महत्वाकांक्षी जनपदों यथा–चन्दौली, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, फतेहपुर एवं सोनभद्र में नवीन बचपन डे–केयर सेण्टर्स के संचालन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अल्पसंख्यक कल्याण

- अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं हेतु 2,058 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मल्टी सेक्टोरल डेवलमेन्ट कार्यक्रम ऐसे 21 जनपदों, जिनमें अल्पसंख्यक जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है, में लागू है, जिसके लिये 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- पूर्वदशम् तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 391 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

न्याय

- न्याय विभाग की योजनाओं हेतु लगभग 9,845 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है, जो वर्ष 2025–2026 के सापेक्ष 9 प्रतिशत अधिक है।
- पायलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश में अद्यतन 111 ग्राम न्यायालयों को क्रियाशील किये जाने की कार्यवाही की गयी।
- महिलाओं के विरुद्ध कारित अपराधों के त्वरित निस्तारण हेतु गठित 81 फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्थायीकरण एवं 212 अस्थायी फास्ट ट्रैक कोर्ट एन0आई0 एक्ट के अन्तर्गत 38 अतिरिक्त न्यायालय तथा 05 विशेष न्यायालय/सहवर्ती पदों की निरन्तरता बढ़ाये जाने की कार्यवाही की गयी है।

राजस्व

- वित्तीय वर्ष 2025–2026 में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत 18,144 आश्रित परिवार लाभान्वित हुये। वित्तीय वर्ष 2026–2027 में योजना हेतु 1,150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- एण्टी भू–माफिया अभियान के अन्तर्गत 7369 हेक्टेयर क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है।
- प्रथम चरण में प्रदेश के 07 अति संवेदनशील जनपदों में 01–01 बाढ़ शरणालय बनाये जाने का निर्णय।
- प्रदेश में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ दिनाँक 16 जुलाई, 2025 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

परिवहन

- बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण हेतु ई0वी0 बस के लिये 400 करोड़ रुपये तथा बस अड्डों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री जीरो फैटलिटी विजन योजना दुर्घटनाओं की रोकथाम व दुर्घटना पश्चात कार्यवाही हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

राजकोषीय सेवायें

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 01 लाख 49 हजार 956 करोड़ रुपये (1,49,956 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

आबकारी शुल्क

- आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 71 हजार 278 करोड़ रुपये (71,278 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

- स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 43 हजार 802 करोड़ रुपये (43,802 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

वाहन कर

- वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 15 हजार 808 करोड़ रुपये (15,808 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2026–2027

- प्रस्तुत बजट का आकार 09 लाख 12 हजार 696 करोड़ 35 लाख रुपये (9,12,696.35 करोड़ रुपये) है।

- बजट में 43 हजार 565 करोड 33 लाख रुपये (43,565.33 करोड़ रुपये) की नई योजनाएँ सम्मिलित की गई हैं।

प्राप्तियाँ

- कुल प्राप्तियाँ 08 लाख 48 हजार 233 करोड़ 18 लाख रुपये (8,48,233.18 करोड़ रुपये) अनुमानित हैं।

- कुल प्राप्तियों में 07 लाख 28 हजार 928 करोड़ 12 लाख रुपये (7,28,928.12 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 01 लाख 19 हजार 305 करोड़ 06 लाख रुपये (1,19,305.06 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 06 लाख 03 हजार 401 करोड़ 76 लाख रुपये (6,03,401.76 करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 03 लाख 34 हजार 491 करोड़ रुपये (3,34,491 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 02 लाख 68 हजार 910 करोड़ 76 लाख रुपये (2,68,910.76 करोड़ रुपये)सम्मिलित है ।

व्यय

- कुल व्यय 09 लाख 12 हजार 696 करोड़ 35 लाख रुपये (9,12,696.35 करोड़ रुपये) है।

- कुल व्यय में 06 लाख 64 हजार 470 करोड़ 55 लाख रुपये (6,64,470.55 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 02 लाख 48 हजार 225 करोड़ 81 लाख रुपये (2,48,225.81 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि

- समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् 64 हजार 463 करोड़ 17 लाख रुपये (64,463.17 करोड़ रुपये)का घाटा अनुमानित है।

लोक लेखा

- लोक लेखे से 09 हजार 500 करोड़ रुपये (9,500 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम

- समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम 54 हजार 963 करोड़ 17 लाख रुपये (54,963.17 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित है।

अन्तिम शेष

- प्रारम्भिक शेष 96 करोड़ 41 लाख रुपये (96.41 करोड़ रुपये) ऋणात्मक को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 55 हजार 59 करोड़ 58 लाख रुपये (55,059.58 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित है।

राजस्व बचत

- राजस्व बचत 64 हजार 457 करोड़ 57 लाख रुपये (64,457.57 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा

- राजकोषीय घाटा 01 लाख 18 हजार 480 करोड़ 59 लाख रुपये (1,18,480.59 करोड़ रुपये) अनुमानित है जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98 प्रतिशत है।

————————